(vi) : Need to protect the interests of students of universities established under Chhattisgarh State Law, which fulfils the criteria fixed by UGC

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : उपाध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने कानून बनाकर सैकड़ों विश्वविद्यालयों को खोलने की अनुमति वर्ष 2002 में दी थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित मानदण्डों की रोशनी में इन विश्वविद्यालयों की समीक्षा की गई, तो 27 विश्वविद्यालय मानक पर सही पाए गए। इन विश्वविद्यालयों में हजारों छात्र पढ़ाई कर रहे थे। कई तकनीकी विश्वविद्यालयों के छात्र कैम्पस साक्षात्कार द्वारा देशी और विदशी कम्पनियों में अच्छी नौकरी में हैं। इनकी प्रतिष्ठा देश और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इन सभी विश्वविद्यालयों को मान्यता देने वाले कानून को निरस्त कर दिया, जिससे हजारों होनहार युवकों का भविष्य अंधकारमय हो गया और युवा वर्ग में निराशा पैदा हो गई है। हमारी भारत सरकार से मांग है कि जो छत्तीसगढ़ राज्य विश्वविद्यालय कानून व यू.जी.सी. के मानकों को पूरा करने वाले विश्वविद्यालय थे और उनम पढ़ाई का स्तर ऊंचा था, वहां के बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखकर उनकी जीवन रक्षा हेतु उनके शिक्षण और डिग्री की नई व्यवस्था की जाए।